यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, पी–2, सैक्टर–ओमेगा–1, ग्रेटर नौएडा।

पत्रांकः वाई0ई0ए / वित्त / 1822 / 2023
दिनांक 28-03-2023

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या वाई.ई.ए / वित्त / 1711 / 2023 दिनांक 09.03.2023 के द्वारा नोटिफिकेशन सं0–13 / 2017 दिनांक 28.06.2017 (Central Tax Rate) के बिन्दु सं0–5 के क्रम में आवासीय भूखण्ड / भवन के अन्तर्गत आवंटित भूखण्डों / भवन के एकल आवंटियों को छोड़कर अन्य सभी योजनाओं (Business Entities- Institutional, Commercial, Group Housing, Industry etc) में Online Payment Gateway अथवा Payment Gateway से GSTN का उल्लेख करते हुए चालान generate कर ही धनराशि जमा कराये जाने हेतु आदेश निर्गत किया गया था।

उपरोक्त के क्रम में अब प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवासीय सम्पत्तियों (भूखण्ड / भवन के एकल आवंटी) के आवंटियों द्वारा अपने आवंटन के सापेक्ष देय धनराशियों को ऑनलाईन प्रक्रिया से Payment Gateway अथवा Payment Gateway से चालान generate कर ही धनराशि जमा कराये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रारम्भ में दिनांक 30.04.2023 तक निम्न दोनो व्यवस्थाओं संचालित है।

(1) बैंक से भौतिक चालान प्रपत्र भरकर तथा सत्यापित कराकर धनराशि जमा करना।

(2) Online Payment Gateway अथवा Payment Gateway से चालान generate कर धनराशि जमा कराना।

इस सम्बन्ध में आदेशित किया जाता है कि दिनांक 01.05.2023 से आवंटियों द्वारा अपने आवंटन से सम्बन्धित मदवार देयता से सम्बन्धित धनराशि केवल Online Payment Gateway अथवा Payment Gateway से चालान generate करके ही किये जाऐंगे। प्राधिकरण द्वारा केवल इसी माध्यम से आवंटियों से धनराशि स्वीकार की जायेंगी। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैंक शाखाओं में बैंक द्वारा एक समर्पित काउन्टर बनाया जायेगा जहाँ सभी मदो का भरते हुए प्राधिकरण के आवंटियों को Online Payment Gateway अथवा Payment Gateway से चालान generate कर भुगतान करने में सहयोग किया जाऐगा। साथ ही सिस्टम विभाग द्वारा भी सी.आर.सेल में एक हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा।

(विशम्भर बाबू)
महाप्रबन्धक (वित्त)

प्रतिलिपि :–

- स्टॉफ आफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया को सूचनार्थ प्रेषित।
- समस्त विशेष कार्याधिकारी / समस्त विभागाध्यक्ष।
- सहायक महाप्रबन्धक / प्रबन्धक (उद्योग व मिश्रित) / (वाणिज्यिक) / (संस्थागत) / (ग्रुप हाउसिंग / टाउनशिप) / (एल.एफ.डी. / एस.डी.जेड) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- सहायक महाप्रबन्धक (सिस्टम) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- समस्त बैंको को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- गार्ड फाईल।

महाप्रबन्धक (वित्त)